BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL NENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 211 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

Sanjay Agarwal ...Revisionist

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULAR	PAGE NO.
	Affidavit on behalf of Respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal	1-10
	ANNEXURE-P-1 Copy of the sealing order dated 05.09.2024	11-12
	ANNEXURE-P-2 Copy of the sealing report dated 07.09.2024	13
	ANNEXURE-P-3 Copy of the sealing report dated 05.09.2024	14-15
	ANNEXURE-P-4 Copy of the sealing report dated 07.09.2024.	16
	ANNEXURE-P-5 Copy of the sealing Order dated 06.09.2024	17-18

	ANNEXURE-P-6 Copy of the sealing report dated 07.09.2024	19
	ANNEXURE-P-7 Copy of the sealing Order dated 05.09.2024	21
	ANNEXURE-P-8 Copy of the sealing report dated 07.09.2024	22
	ANNEXURE-P-9 Copy of the sealing order dated 05.09.2024	23-24
10.	**ANNEXURE-P-10** Copy of the sealing report dated 07.09.2024	25
11.	**ANNEXURE-P-11** Copy of the sealing order dated 06.09.2024	26-27
12.	**ANNEXURE-P-12** Copy of the sealing report dated 09.09.2024	28
13.	**ANNEXURE-P-13** Copy of the notice dated 10.09.2024	29-
18.	Vakalatnama	

Filed By:-

Vinay Garg
Advocate
C-253 1st Floor,
Defence Colony
New Delhi- 110024
Mob: - 9810152408
Email: - vinaygarg62@yahoo.co.in

Place: - New Delhi
Date:- 14.09.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 211/2024

Sanjay Agarwal .....Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ....Respondents

Affidavit on behalf of Respondent No. 4, District Development Authority, Tehri Garhwal

I, Digvijay Nath Tiwari S/o Sh. Lallan Tiwari aged about 50 years, resident of Asstt. Engineer, District Level Development Authority, Tehri, Old Collectorate Building, Narender Nagar, District Tehri, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That the deponent is working as Assistant Engineer in the District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand and is well conversant with the facts of the case, hence is competent to sign and swear this affidavit.

2. That in compliance of order dated 08.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, the respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal is submitting herein below the status of the 6 unauthorized constructions as mentioned in the report dated 06.08.2024 of the Joint Committee constituted by this Hon'ble Tribunal vide order dated 09.05.2024.

The Seal of Oath Commissioner
S.L. No. 66/2023
Virender Kumar Nagar
App. By. Delhi High Court
Period 16-11-2023
To 15-11-2025
Patiala House Courts, New Delhi

3. That it is most humbly submitted the respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal was constituted and established in May, 2020 The area in which the said unauthorized construction had taken place earlier fell within the jurisdiction of Haridwar Roorkee Development Authority.

4. The status of the six unauthorized constructions are as follows:

(a) The building owner **Late Smt. Sobha Singh/Narender Baluni, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley**

This building has construction of 5 floors (G+4) in an area of 180.67 sq. meters with a total floor area as 738.68 sq. meters. As per the records, on having found that the said building had no sanctioned plan approved by the Development Authority, a case no. N.T/40/2020-21 dated 08.07.2020 was booked and a notice was issued requiring to show cause as to why action for demolition under Section 27 of the Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 be not taken. Subsequently, notice dated 02.12.2020 was issued for hearing. Thereafter, as part of process, hearings took place and several dates were fixed on 4.03.24, 08.04.24, 06.05.24, 12.06.24 but no one appeared. It was informed that Smt. Sobha Singh had expired. A report dated 22.04.2024 in this regard was submitted by the J.E./AAE. Subsequently, it came to the knowledge that one Shri Narender Baluni had purchased the said unit.

The Seal of Oath Commissioner S.L. No. 66/2023 Virender Kumar Nagar App. By. Delhi High Court Period 16-11-2023 To 15-11-2025 Patiala House Courts, New Delhi-110001

The respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal vide letter no. 110/Dist. Level Dev. Authority/2024-25 dated 22.06.2024 has issued a show cause notice as to why the said building may not be sealed. Since no action was taken, an order 05.09.2024 for sealing the premises on 07.09.2024 was issued. The copy of the sealing order dated 05.09.2024 is annexed as **Annexure A-1.** Thereafter on 07.09.2024 the entire building has been sealed in the presence of Tehsildar/Magistrate Narinder Nagar, Team of Development Authority and Police Force of P.S. Muni ki Reti. Copy of sealing report dated 07.09.2024 is annexed as **Annexure A-2.**

(b) The building owner **Sh. Atul Nehra and others, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley**

This building has construction of 6 floors (G+5) in an area of 169.27 sq. meters with a total floor area as 846.35 sq. meters. As per the records, on having found that the said building had no sanctioned plan approved by the Development Authority, a case no. UCMS/TSN/C/0023/2023 dated 01.12.2023 was booked and a notice was issued requiring to show cause as to why action for demolition under Section 27 the Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 be not taken. On 16.12.2023 an affidavit was submitted by the noticee stating that the construction has been stopped and he would apply for approval. Thereafter several hearings took place, however, no action was taken for approval of map.

The Seal of Oath Commissioner S.L. No. 66/2023 Virender Kumar Nagar App. By. Delhi High court Period 16-11-2023 To 15-11-2025 Patiala House Courts, New Delhi

4

The respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal vide letter no. 109/Dist. Level Dev. Authority/2024-25 dated 22.06.2024 has issued a show cause notice as to why the said building may not be sealed.

Since no action was taken, an order 05.09.2024 for sealing the premises on 07.09.2024 was issued. The copy of the sealing order dated 05.09.2024 is annexed as **Annexure A-3.** Thereafter on 07.09.2024 the entire building has been sealed in the presence of Tehsildar/Magistrate Narinder Nagar, Team of Development Authority and Police Force of P.S. Muni ki Reti. Copy of sealing report dated 07.09.2024 is annexed as **Annexure A-4.**

(c) The building owner **Sh. Deepak Kandari and others, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley**

This building has construction of 6 floors (G+5) in an area of 472.50 sq. meters with a total floor area as 2362.50 sq. meters. As per the records, on having found that the said building had no sanctioned plan approved by the Development Authority, a case no. UCMS/TSN/C/0027/2023 dated 08.11.2023 was booked and a notice was issued requiring to show cause as to why action for demolition under Section 27 the Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 be not taken.

The respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal vide letter no. 108/Dist. Level Dev.

The Seal of Oath Commissioner S.L. No. 66/2023 Virender Kumar Nagar App. By. Delhi High court Period 16-11-2023 To 15-11-2025 Patiala House Courts, New Delhi-110001

5

Authority/2024-25 dated 22.06.2024 has issued a show cause notice as to why the said building may not be sealed. Thereafter, the noticee sent a letter dated 08.07.24 that he would take appropriate steps as per law. However, no action was taken.

Since no action was taken, an order 06.09.2024 for sealing the premises on 07.09.2024 was issued. The copy of the sealing order dated 06.09.2024 is annexed as **Annexure A-5.** Thereafter on 07.09.2024 the entire building has been sealed in the presence of Tehsildar/Magistrate Narinder Nagar, Team of Development Authority and Police Force of P.S. Muni ki Reti. Copy of sealing report dated 07.09.2024 is annexed as **Annexure A-6.**

(d) The building owners **Sh. Ranjan Gupta/Sh. Nitin Goyal/Sh. Vishal Tayal/Sh. Amit and others, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley**

This building has construction of 6 floors (G+5) in an area of 255.75 sq. meters with a total floor area as 1278.75 sq. meters. As per the records, on having found that the said building had no sanctioned plan approved by the Development Authority, a case no. UCMS/TSN/C/0014/2023 dated 21.08.2023 was booked and a notice was issued requiring to show cause as to why action for demolition under Section 27 the Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 be not taken.

The Seal of Oath Commissioner S.L. No. 66/2023 Virender Kumar Nagar App. By: Delhi High court Period 16-11-2023 To 15-11-2025 Patiala House Courts, New Delhi-110001

The noticee sent a letter dated 23.04.24 that the construction had already been stopped and they would take appropriate steps as per law.

A notice dated 30.04.2024 was issued as to why the sealing of the building be not done. Again a request was made for grant of one month's time for taking steps.
The respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal vide letter no. 86/Dist. Level Dev. Authority/2024-25 dated 13.06.2024 has issued a show cause notice as to why the said building may not be sealed.

Since no action was taken, an order 05.09.2024 for sealing the premises on 07.09.2024 was issued. The copy of the sealing order dated 05.09.2024 is annexed as **Annexure A-7.** Thereafter on 07.09.2024 the entire building has been sealed in the presence of Tehsildar/Magistrate Narinder Nagar, Team of Development Authority and Police Force of P.S. Muni ki Reti. Copy of sealing report dated 07.09.2024 is annexed as **Annexure A-8.**

(e) The building owners **Sh. Bharat Singh/Sh. Lalit Mishra, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley**

This building has construction of 6 floors (G+5) in an area of 181.62 sq. meters with a total floor area as 908.10 sq. meters. As per the records, on having found that the said building had no sanctioned plan approved by the Development Authority, a case no. UCMS/TSN/R/0008/2021 dated 12.10.2021 was

The Seal of Oath Commissioner S.L. No. 66/2023 Virender Kumar Nagar App. By. Delhi High court Period 16-11-2023 To 15-11-2025 Patiala House Courts, New Delhi

booked and a notice was issued requiring to show cause as to why action for demolition under Section 27 the Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 be not taken.

Despite several opportunities given by the Development Authority and assurances given by the noticee, no action was taken by the noticee on the plea that he is not financially capable to take action for sanction of the tin shed. However, subsequently, construction was started.

The respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal vide letter no. 107/Dist. Level Dev. Authority/2024-25 dated 22.06.2024 has issued a show cause notice as to why the said building may not be sealed.

Since no action was taken, an order 05.09.2024 for sealing the premises on 07.09.2024 was issued. The copy of the sealing order dated 05.09.2024 is annexed as **Annexure A-9.** Thereafter on 07.09.2024 the entire building has been sealed in the presence of Tehsildar/Magistrate Narinder Nagar, Team of Development Authority and Police Force of P.S. Muni ki Reti. Copy of sealing report dated 07.09.2024 is annexed as **Annexure A-10.**

(f) The building owner **Sh. Rajesh Agarwal/others, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley.**

This building has 17 small units of one bedroom flat constructed in 5 floors (G+4) in an area of 265.35 sq.

The Seal of Oath Commissioner
S.L. No. 66/2023
Virender Kumar Nagar
App. By. Delhi High court
Period 16-11-2023
To 15-11-2025
Patiala House Courts, New Delhi-110001

meters with a total floor area as 1061.40 sq. meters. As per the records, on inspection conducted on 01.11.2017, having found that the said building had no sanctioned plan approved by the Development Authority, a case no. N./Rishi/87/2017-18 dated 03.11.2017 was booked and notice was issued by the Haridwar Roorkee Development Authority requiring to show cause as to why action for demolition under Section 27 the Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 be not taken. From the record it is apparent that no action was taken by the owners/noticee.

Thereafter the respondent no. 4 District Development Authority, Tehri Garhwal vide letter no. 111/Dist. Level Dev. Authority/2024-25 dated 22.06.2024 has issued a show cause notice as to why said building may not be sealed.

Again, a notice dated 27.08.2024 was sent granting one more opportunity to submit evidence and date of hearing was fixed on 06.09.2024. Since no one appeared and nothing was filed, the order for sealing of the premises was passed on 06.09.2024 and 09.09.2024 was fixed as the date for sealing. Sealing order dated 06.09.2024 is enclosed as **Annexure A-11.**

On 09.09.2024, at the time of sealing, it was found that out of 17 units, units 14 units were occupied by different people who were residing therein with their families. The occupants informed that all 17 units were sold to

The Seal of Oath Commissioner
S.L. No. 66/2023
Virender Kumar Nagar
App. By. Delhi High court
Period 16-11-2023
To 15-11-2025
Patiala House Courts, New Delhi-110001

different people by the owner/builder Mr. Rajesh Agarwal.

There was resentment from the occupants and the people present on the spot. The 3 units belonging to one Mr. Kapil Gupta (Ground floor), Mr. Dinesh Gupta (First floor Unit no. A-1) and Smt. Hemlata (First floor Unit no.A-4) lying vacant were sealed. Besides that, one hall under construction on the terrace (above 4^{th} floor) belonging to Mr. Lalit Mohan Mishra was also sealed. This sealing was done in the presence of Tehsildar/Magistrate Narinder Nagar, Team of Development Authority and Police Force of P.S. Muni ki Reti. Sealing report dated 09.09.2024 is enclosed as **Annexure -A-12.**

With regard to remaining 14 units, individual notices have been issued on humanitarian grounds to all the 14 occupants on 10.09.2024 to vacate the premises within 15 days so that the process of sealing could be completed. These notices were received by them on 11.09.2024. The copy of notice dated 10.09.2024 is enclosed as **Annexure A-13.**

5. That it is most humbly submitted that the Respondent No.4 District Development Authority, Tehri Garhwal will take all steps within its jurisdiction, as may be directed by this Hon'ble Tribunal.

6. That it is most humbly submitted that appropriate orders may kindly be passed as deemed fit and proper by this Hon'ble Tribunal.

The Seal of Oath Commission S.L. No. 66/2023 Virender Kumar Nagar App. By. Delhi High court Period 16-11-2023 To 15-11-2025 Patiala House Courts, New Delhi

10

7. That the annexures are true copies of their originals.

DEPONENT

14 SEP 2024

VERIFICATION

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of the above paragraphs 1 to 7 of this Affidavit are true and correct to the best of my knowledge on the basis of record.

Verified today on 14th day of September, 2024 at New Delhi.

DEPONENT

I identified the Deponent who has signed in my presence.

The Seal of Oath Commissioner
S.L. No. 66/2023
Virender Kumar Nagar
App. By. Delhi High court
Period 16-11-2023
To 15-11-2025
Patiala House Courts, New D

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Km ....
S/o W/o D/o ....
R/o ....
Identified by Shri/Smt .... before me at
has solemnly affirmed before me
Delhi on .... at Sl. No. ....
that the contents of the affidavit which have
been read & explained to him are true and
correct to his knowledge.

Oath Commissioner, Delhi

14 SEP 2024

कार्यालय

ANNEXURE-A1

11

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।

Website- ddatehri.in E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 215 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांकः05.09.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री सोभा सिंह / नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य / धर्मेन्द्र रावत, ललित कक्कड़, श्रीमती फूलवती शर्मा आदि

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27 (1) अंतर्गत दिनांकः 19.08.2020 को सील करने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था लेकिन तद् दिनांक को ही धारा 28 (1) के अंतर्गत मौके पर किये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से किये रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था। नोटिस के क्रम में श्री सोभा सिंह एवं अन्य द्वारा सुनवायी के दौरान कभी भी प्राधिकरण में उपस्थित नही हुये और न ही उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुये, न ही कोई सकारात्मक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया, के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पुनः 02.12.2020 को सील करने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया।

सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांकः 06.08.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री सोभा सिंह एवं अन्य द्वारा मौके पर चालान एवं कार्य रोकने के निर्देश के उपरांत भी G+4 तल तक का निर्माण कर लिया गया है तथा मौके पर निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है तथा उक्त अवैध निर्माण को सील किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये G+4 तल का अनाधिकृत निर्माण मौके पर किया गया है तथा सुनवाई के दौरान विपक्षी कभी उपस्थित नही हुये है, एवं उनके द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय NGT द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए आगामी तिथि पर कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है तथा विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी भवन मानचित्र / शमन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा निर्माण गतिमान रखा गया है। निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक मात्र उपाय तत्काल प्रभाव से भवन को सील किया जाना रह गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुंसगत धाराओं का उल्लधंन है अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत श्री सोभा सिंह / श्री नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य द्वारा निर्माणाधीन भवन को दिनांकः 07.09.2024 को समय 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा सील किया जाए एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न ही होने दे क्योकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यो में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के समान है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल करायी जाय।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/2024

प्राप्त किया गया

O/c

5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सील बन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री सोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE- A2

13

सीलिंग रिपोर्ट

श्री शोभा सिंह एवं नरेन्द्र बलोनी के डैक्कन वेली घुघतानी मल्ली तपोवन में स्थित अनाधिकृत निर्माण हेतु योजित वाद संख्या –मीमो/नोसं0/2020 दिनांक 08.07.2020 के विरूद्ध संयुक्त सचिव /उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश संख्या 215/जि0स्त0वि0प्र0/2024–25 दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को स्थल पर जिस स्थिति में निर्गाण पाया गया उसी स्थिति में आज दिनांक 07.09.2024 को तहसीलदार /मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर जि0स्त0वि0प्रा0 की टीम एवं पुलिस बल मुनिकीरेती की उपस्थिति में सील की कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न की गयी । उक्त सील को विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

Kamal 07/09/2024
अपर सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

7-9-2024
सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील नरेन्द्रनगर

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- ddatehri.in
E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 218 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25

दिनांकः 05.09.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री अतुल नेहरा एवं अन्य

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27 (1) अंतर्गत दिनांकः 01.12.2023 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था लेकिन तद् दिनांक को ही धारा 28 (1) के अंतर्गत मौके पर किये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से किये रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था। नोटिस के क्रम में श्री अतुल नेहरा एवं अन्य द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांकः 16.12.2023 को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा था, बन्द कर दिया गया है तथा वे अवैध निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराने को तैयार हूँ।

सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांकः 22.04.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री अतुल नेहरा एवं अन्य द्वारा मौके पर G+5 तलों का निर्माण किया जा रहा है तथा चालान एवं कार्य रोकने के निर्देश के उपरांत भी G+5 तलों तक का निर्माण कर लिया गया है तथा मौके पर निर्माणकर्ता द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। प्राधिकरण स्तर से पत्रांक– 109 दिनांकः 22.06.2024 द्वारा सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसके क्रम में दिनांकः 08.07.2024 को श्री अतुल नेहरा एवं अन्य द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया कि अवैध निर्माण का शमन कराने हेतु तैयार है तथा उक्त शमन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण मौके पर किया गया है तथा निर्माण की स्वीकारोप्ति भी विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान की गयी है। साथ ही विपक्षी यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा दो बार कथन किया जा चुका है कि वह मानचित्र स्वीकृत करा लेंगे और इसकी आड़ में G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय NGT द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए आगामी तिथि पर कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है तथा विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी भवन मानचित्र/शमन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा निर्माण गतिमान रखा गया है। निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक मात्र उपाय तत्काल प्रभाव से भवन को सील किया जाना रह गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुंसगत धाराओं का उल्लघंन है अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत श्री अतुल नेहरा एवं अन्य द्वारा निर्माणाधीन भवन को दिनांकः 07.09.2024 को समय 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा सील किया जाए एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न ही होने दे क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यो में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के समान है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल करायी जाय।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

6/9/2024

O/C

15

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सील बन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री अतुल नेहरा एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE - A4

16

सीलिंग रिपोर्ट

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य के डैक्कन वेली घुघतानी मल्ली तपोवन में स्थित अनाधिकृत निर्माण हेतु योजित वाद संख्या – UCMS/TSN/C/0023/2023 दिनांक 01.12.2023 के विरूद्ध संयुक्त सचिव /उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश संख्या 218/जि0स्त0वि0प्र0/2024–25 दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को स्थल पर जिस स्थिति में निर्माण पाया गया उसी स्थिति में आज दिनांक 07.09.2024 को तहसीलदार /मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर जि0स्त0वि0प्रा0 की टीम एवं पुलिस बल मुनिकीरेती की उपस्थिति में सील की कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न की गयी । उक्त सील को विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

7/09/2024
अपर सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

7-9-2024
सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील नरेन्द्रनगर

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE-A-5

17

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- ddatehri.in
E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 221 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25

दिनांक:06.09.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27 (1) अंतर्गत दिनांक: 07.11.2023 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था लेकिन तद् दिनांक को ही धारा 28 (1) के अंतर्गत मौके पर किये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से किये रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था।

सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांक: 11.06.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य द्वारा मौके पर G+5 तलों का निर्माण किया जा रहा है तथा चालान एवं कार्य रोकने के निर्देश के उपरांत भी G+5 तलों तक का निर्माण कर लिया गया है तथा मौके पर निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। प्राधिकरण स्तर से पत्रांक– 108 दिनांक: 22.06.2024 द्वारा सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक: 08.07.2024 को श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य द्वारा स्पष्ट रूप से मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु सही प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण मौके पर किया गया है तथा निर्माण की स्वीकारोक्ति भी विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान की गयी है। साथ ही विपक्षी यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा कथन किया जा चुका है कि वह मानचित्र स्वीकृत करा लेंगे और इसकी आड़ में G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय NGT द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए आगामी तिथि पर कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है तथा विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी भवन मानचित्र/शमन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा निर्माण गतिमान रखा गया है। निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक मात्र उपाय तत्काल प्रभाव से भवन को सील किया जाना रह गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धाराओं का उल्लधंन है अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य द्वारा निर्माणाधीन भवन को दिनांक: 07.09.2024 को समय 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा सील किया जाए एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न ही होने दे क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यो में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के समान है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल करायी जाय।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

18

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सील बन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

O/C

ANNEXURE-A6

19

सीलिंग रिपोर्ट

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य के डैक्कन वेली, घुघतानी मल्ली तपोवन में स्थित अनाधिकृत निर्माण हेतु योजित वाद संख्या – UCMS/TSN/C/0027/2023 दिनांक 08.11.2023 के विरूद्ध संयुक्त सचिव /उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश संख्या 221/जि0स्त0वि0प्र0/2024–25 दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को स्थल पर जिस स्थिति में निर्माण पाया गया उसी स्थिति में आज दिनांक 07.09.2024 को तहसीलदार /मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर, जि0स्त0वि0प्रा0 की टीम एवं पुलिस बल मुनिकीरेती की उपस्थिति में सील की कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न की गयी । उक्त सील को विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

Kamal 7/09/2024
अपर सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

7-9-2024
सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील नरेन्द्रनगर

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE-A7

20

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।

Website- ddatehri.in E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 216 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25

दिनांक: 05.09.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री संजय अग्रवाल, श्री बंशी मितल व श्री अमित गोयल

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27 (1) अंतर्गत दिनांक: 21.08.2023 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था लेकिन तद् दिनांक को ही धारा 28 (1) के अंतर्गत मौके पर किये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से किये रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था। नोटिस के क्रम में श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री संदीप खुराना, श्री बंशी मितल व श्री अमित गोयल द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक: 23.03.2024 को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा था, बन्द कर दिया गया है तथा वे अवैध निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराने को तैयार हूँ।

सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांक: 23.03.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री संजय अग्रवाल, श्री बंशी मितल व श्री अमित गोयल द्वारा मौके पर G+5 तलों का निर्माण किया जा रहा है तथा चालान एवं कार्य रोकने के निर्देश के उपरांत भी G+5 तलों तक का निर्माण कर लिया गया है तथा मौके पर निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। प्राधिकरण स्तर से पत्रांक– 10 दिनांक: 25.04.2024 द्वारा सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक: 30.4.2024 को श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री बंशी मितल, श्री संदीप खुराना व श्री अमित गोयल द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया कि मौके पर अवैध निर्माण का कार्य बन्द करा दिया गया है तथा शमन कराने हेतु तैयार है तथा उक्त शमन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु 01 माह का समय दिये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण मौके पर किया गया है तथा निर्माण की स्वीकारोप्ति भी विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान की गयी है। साथ ही विपक्षी यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा दो बार कथन किया जा चुका है कि वह मानचित्र स्वीकृत करा लेंगे और इसकी आड़ में G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। प्राधिकरण स्तर से पुनः पत्रांक– 86 दिनांक: 13.06.2024 द्वारा सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय NGT द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए आगामी तिथि पर कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है तथा विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी भवन मानचित्र/शमन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा निर्माण गतिमान रखा गया है। निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक मात्र उपाय तत्काल प्रभाव से भवन को सील किया जाना रह गया है।

6/9/2024

O/c

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

21

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुंसगत धाराओं का उल्लधंन है अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री संदीप खुराना, श्री बंशी मितल व श्री अमित गोयल द्वारा निर्माणाधीन भवन को दिनांकः 07.09.2024 को समय 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा सील किया जाए एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न ही होने दे क्योकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के समान है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल करायी जाय।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सील बन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री संजीव खुराना, श्री बंशी मितल व श्री अमित गोयल को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE-A8

22

सीलिंग रिपोर्ट

श्री रंजन गुप्ता, श्री नीतिन गोयल, श्री बंशी मित्तल, श्री अमित गोयल, एवं श्री सन्दीप खुराना के डैक्कन वेली घुघतानी मल्ली तपोवन में स्थित अनाधिकृत निर्माण हेतु योजित वाद संख्या – UCMS/TSN/C/0014/2023 दिनांक 21.08.2023 के विरूद्ध संयुक्त सचिव /उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश संख्या 216/जि0स्त0वि0प्र0/2024–25 दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को स्थल पर जिस स्थिति में निर्माण पाया गया उसी स्थिति में आज दिनांक 07.09.2024 को तहसीलदार /मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर जि0स्त0वि0प्रा0 की टीम एवं पुलिस बल मुनिकीरेती की उपस्थिति में सील की कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न की गयी । उक्त सील को विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

Kamal 07/09/2024
अपर सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

7-9-2024
सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील नरेन्द्रनगर

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE-A9

23

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।

Website- ddatehri.in
E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 214 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024–25

दिनांक: 05.09.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री भरत सिंह पुत्र श्री मूलचंद एवं श्री एल0एन0 मिश्र

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27 (1) अंतर्गत दिनांकः 12.010.2021 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था लेकिन तद् दिनांक को ही धारा 28 (1) के अंतर्गत मौके पर किये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से किये रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था। नोटिस के क्रम में श्री भरत सिंह पुत्र श्री मूलचंद द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांकः 20.04. 2021 से अवगत कराया गया है कि मौके पर मात्र पुरानी आवासीय झोपड़ी के स्थान पर टीन सैट का निर्माण किया जा रहा है तथा उनके द्वारा भविष्य में मानचित्र स्वीकृत करा लिया जाएगा एवं मानचित्र स्वीकृति के उपरांत ही भवन निर्माण किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांकः 11.06.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री भरत सिंह एवं एल0एन0 मिश्र द्वारा मौके पर G+5 तलों का निर्माण किया जा रहा है तथा चालान एवं कार्य रोकने के निर्देश के उपरांत भी G+5 तलों तक का निर्माण कर लिया गया है तथा मौके पर निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। प्राधिकरण स्तर से पत्रांक– 107 दिनांकः 22.06.2024 से सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसके क्रम में दिनांकः 08.07.2024 को श्री एल0एन0 मिश्र द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया कि मौके का निर्माण आवासीय है तथा शमन कराने हेतु तैयार है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण मौके पर किया गया है तथा निर्माण की स्वीकारोपती भी विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान की गयी है। साथ ही विपक्षी यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा दो बार कथन किया जा चुका है कि वह मानचित्र स्वीकृत करा लेंगे और इसकी आड़ में G+5 तलों का अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय NGT द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए आगामी तिथि पर कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है तथा विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी भवन मानचित्र/शमन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा निर्माण गतिमान रखा गया है। निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक मात्र उपाय तत्काल प्रभाव से भवन को सील किया जाना रह गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुंसगत धाराओं का उल्लधंन है अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत श्री भरत सिंह एवं एल0एन0 मिश्र द्वारा निर्माणाधीन भवन को दिनांकः 07.09.2024 को समय 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा सील किया जाए एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न ही होने दे क्योकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यो में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के समान है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल करायी जाय।

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

6/9/2024

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टि... ...ल

Site copy. O/c

24

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सील बन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. श्री भरत सिंह एवं श्री एल0एन0 मिश्रा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

O/C

ANNEXURE-A10

25

सीलिंग रिपोर्ट

श्री भरत सिंह एवं श्री एल0एम0 मिश्रा के डैक्कन वेली घुघतानी मल्ली तपोवन में स्थित अनाधिकृत निर्माण हेतु योजित वाद संख्या – UCMS/TSN/C/0008/2021 दिनांक 12.10.2021 के विरूद्ध संयुक्त सचिव /उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश संख्या 214/जि0स्त0वि0प्र0/2024–25 दिनांक 05.09.2024 के अनुपालन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को स्थल पर जिस स्थिति में निर्माण पाया गया उसी स्थिति में आज दिनांक 07.09.2024 को तहसीलदार /मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर जि0स्त0वि0प्रा0 की टीम एवं पुलिस बल मुनिकीरेती की उपस्थिति में सील की कार्यवाही शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न की गयी । उक्त सील को विपक्षी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

Kamal 07/09/2024
अपर सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

7-9-2024
सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील नरेन्द्रनगर

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE- A11

26

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- ddatehri.in
E-mail–ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 219 222 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25

दिनांक: 06.09.2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य

सीलिंग आदेश

विकास क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम्य नियोजन विकास अधिनियम– 1973 (संशोधित अधिनियम –2013) की धारा 27 (1) अंतर्गत एवं तद् दिनांक को ही धारा 28 (1) के अंतर्गत मौके पर किये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से किये रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था। नोटिस के क्रम में श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा सुनवायी के दौरान कभी भी प्राधिकरण में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुये, न ही कोई सकारात्मक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।

सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांकः 06.08.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा मौके पर चालान एवं कार्य रोकने के निर्देश के उपरांत भी G+4 तल तक का निर्माण कर लिया गया है तथा मौके पर निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है तथा उक्त अवैध व्यसायिक फ्लैट का अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये G+4 तल का व्यसायिक फ्लैट का अनाधिकृत निर्माण मौके पर किया गया है तथा सुनवाई के दौरान विपक्षी कभी उपस्थित नही हुये है, एवं उनके द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय NGT द्वारा संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रश्नगत अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए आगामी तिथि पर कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है तथा विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के वावजूद भी भवन मानचित्र/शमन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा निर्माण गतिमान रखा गया है। निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक मात्र उपाय तत्काल प्रभाव से भवन को सील किया जाना रह गया है।

आदेश

विपक्षी द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण किया गया है, जो उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुंसगत धाराओं का उल्लधंन है अधिनियम की धारा 28ए के अन्तर्गत राजेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा निर्माणाधीन भवन को दिनांकः 09.09.2024 को समय 11:00 बजे प्राधिकरण द्वारा सील किया जाए एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न ही होने दे क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यो में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के समान है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल करायी जाय।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

27

5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को सील की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी निरीक्षक मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि सील हेतु नियत तिथि पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सील बन्द की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
8. राजेश अग्रवाल एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनाधिकृत निर्माण/भवन को खाली कर मौके पर उपस्थित रहें।

संयुक्त सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE-A12

28

सीलिंग रिपोर्ट

श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य के डैक्कन वेली घुघतानी मल्ली तपोवन में स्थित अनाधिकृत निर्माण हेतु योजित वाद संख्या 2410/नो0/ऋषि0/87/2017–18 दिनांक 03.11.2017 के विरूद्ध संयुक्त सचिव /उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के आदेश संख्या 222/जि0स्त0वि0प्र0/2024–25 दिनांक 06.09.2024 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमे 01 BHK के 16 फ्लैट निर्मित हैं जो पूर्व मे निर्माणकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया है उक्त सभी फ्लैटों में फ्लैट स्वामी निवासरत् हैं। आज दिनांक 09.09.2024 को स्थल पर सीलिंग के दौरान उक्त फ्लैट स्वामियों द्वारा सीलिंग की कार्यवाही का विरोध किया गया। जिससे भूतल पर स्थित श्री कपिल गुप्ता का फ्लैट, श्री दिनेश गुप्ता का प्रथम तल पर स्थित फ्लैट संख्या–ए0–01, श्रीमती हेमलता का प्रथम तल पर स्थित फ्लैट संख्या ए0–4 तथा चतुर्थ तल के ऊपर श्री ललित मोहन मिश्रा द्वारा निर्माणाधीन हॉल को सील कर दिया गया है। तहसीलदार /मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर, जि0स्त0वि0प्रा0 की टीम एवं पुलिस बल मुनिकीरेती की उपस्थिति में आंशिक रूप से सील की कार्यवाही हो पायी।

Kamal 9/09/2024
अपर सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

9-9-2024
सहायक अभियन्ता
जि0स्त0वि0प्रा0
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील नरेन्द्रनगर

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
नरेन्द्रनगर, टिहरी, गढ़वाल

ANNEXURE-A13
29

District Level Development Authority Tehri
Old Collectorate Building Campus
Narendra Nagar, Tehri Garhwal
Email: ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक :– 80/TSN-0047/2024

दिनांक: 10/09/2024

समयबद्ध

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
टिहरी।

सेवा में,

1. श्री सुरेन्द्र प्रकाश सिंह
प्रथम तल, फ्लैट नं0–ए0 2 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

2. श्रीमती कल्पना देवी
प्रथम तल, फ्लैट नं0–ए0 3 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

3. श्रीमती उर्मिला गुप्ता
द्वितीय तल, फ्लैट नं0–बी 1 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

4. श्रीमती सुषमा
द्वितीय तल, फ्लैट नं0–बी0 2 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

5. श्रीमती कल्पना देवी
द्वितीय तल, फ्लैट नं0–बी0 3 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

6. श्री अखिलेश सिंह बोधी
द्वितीय तल, फ्लैट नं0–बी0 4 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

7. दिलीप सिंह पाहुजा
तृतीय तल, फ्लैट नं0–सी0 1 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

8. श्री अजीत कमल
तृतीय तल, फ्लैट नं0–सी0 2 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

9. श्रीमती शोभा गम्भीर
तृतीय तल, फ्लैट नं0–सी0 3 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

10. श्री नीरज अग्रवाल
तृतीय तल, फ्लैट नं0–सी0 4 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

11. श्रीमती रेनु अग्रवाल
चतुर्थ तल, फ्लैट नं0–डी0 1 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

12. श्रीमती शोभा गुप्ता
चतुर्थ तल, फ्लैट नं0–डी0 2 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

13. श्री बबीता अग्रवाल
चतुर्थ तल, फ्लैट नं0–डी 3 होमली हिल व्यू अपार्टमेन्ट
डेक्कन वैली तपोवन।

14. श्री कपील गुप्ता
चतुर्थ तल, फ्लैट नं0–डी 4 होमली हिल व्यू
डेक्कन वैली तपोवन।

विषयः डेक्कन वैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410 / नो / ऋषि / 87 / 2017–18

Digitally signed by DIGVIJAY NATH TIWARI
Date:10-09-2024 19:11:04

30

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय

प्रश्नगत वाद की सुनवायी उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम योजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की धारा–27(1) के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी में संयुक्त सचिव/उपजिलाधिकारी स्तर से की जा रही है। प्रश्नगत निर्माण का मानचित्र सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध वाद योजित करने के उपरान्त कारण बताओं नोटिस निर्गत कर विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा न तो स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत की गयी और न ही शमन मानचित्र स्वीकृत कराया गया, तदक्रम में प्राधिकरण स्तर से उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध दिनांक 06.09.2024 को सीलिंग आदेश निर्गत कर दिनांक 09.02.2024 की तिथि निर्धारित की गयी। सीलिंग की कार्यवाही के दौरान आप द्वारा मौके पर अपने फ्लैट में निवासरत होने के कारण सीलिंग की कार्यवाही सम्पादित नहीं होने दी गयी।

अनाधिकृत निर्माण में आवासीय इकाई खरीदने अथवा रहने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका है चूंकि प्रश्नगत निर्माण अनाधिकृत है इस कारण अनाधिकृत निर्माण पर सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही विधि सम्मत है। मानवता की दृष्टि से आपको एतद्द्वारा 15 दिन का अवसर दिया जाता है कि आप अपने आवासीय इकाई को खाली कर दे ताकि प्रश्नगत निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकें। ऐसा करने में चूक करने पर प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम योजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधित अधिनियम–2013) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, इससे किसी भी प्रकार की हानि होती है तो समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

Digitally signed by Digvijay Nath Tiwari
Date: 2024.09.10 19:11:07 +05:30

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
टिहरी।

प्रतिलिपिः

1. उप जिला मजिस्ट्रेट, नरेन्द्रनगर महोदय को उपरोक्तानुसार कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. थानाध्यक्ष, मुनिकीरेती को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
टिहरी।

True copy

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION No. 211 of 2024

In re:-

Sanjay Aggarwal

...Applicant

VERSUS

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

KNOW ALL to whom these presents shall come that I Devendra Singh Negi, Joint Secretary of District Level Development Authority, Tehri, Old Collectorate Building, Narender Nagar, District Tehri do hereby appointed Vinay Garg, Advocate to be my/our Advocate in the above-noted case authorize him: -

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign. file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and /or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

The deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We the undertake that I/We or my/our duty authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called

And I/We the undersigned do hereby agree to hold the advocate of substitute responsible for the result of said case. The Adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fees is paid, I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this day of September, 2024. Accepted subject to the terms of the fees.

Client

Client

संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल

(VINAY GARG, Advocate)
Counsel for the Respondent no. 4
C-253 (F.F), Defence Colony
New Delhi – 110 024, INDIA
Mobile no. 9810152408

Proof of Service

51

DTDC Express Limited
Regd.Office: No-3,Victoria Road
Bengaluru - 560047

ORIGIN		DEST.	
POUCH NO.		DATE	

Non Negotiable Consignment Note / Subject to Bengaluru Jurisdiction.

The consignment note is not a tax invoice. A tax invoice will be made available by DTDC or it's channel partner as the case may be, upon request.

Vendor Code : 107445

1 Sender's (Consignor) Name: Vinay Goyal
Company Name & Address:
City: State: PIN Code: 16/09/24
Sender's GSTIN*: *Where Applicable

2 Recipient's (Consignee) Name: Sh. Sanjay Agarwal
Company Name & Address: U-71/42 ...
City: State: PIN Code:
Recipient's GSTIN*: *Where Applicable

3 Nature of consignment (✓) Dox ☐ Non-Dox ☐ Total Num Pcs:

DIM 1: L	cm X B	cm X H	cm X	Pcs	Actual Wt. kg
DIM 2: L	cm X B	cm X H	cm X	Pcs	Volumetric Wt. kg
DIM 3: L	cm X B	cm X H	cm X	Pcs	Chargeable Wt. kg

4 Description of Content — Total Value of consignment for carriage / E-Way bill: ₹

5 Paper Work Enclosures

6 Type of consignment (✓) Commercial ☐ Non Commercial ☐

7 Value Added Services Not Available — CN Expiry Date

10 I/We declare that this consignment does not contain personal mail, cash, jewellery, contraband, illegal drugs, any prohibited items and commodities which can cause safety hazards while transporting

Sender's Signature & Seal

Date: Time: AM/PM
I have read and understood terms & conditions printed overleaf of this consignment note and I agree to the same.

9

Charges	Amount(₹)
a) Tariff (Incl. Of FSC + Taxes)	
b) Risk Surcharge	
c) Total amount (a+b)	

Above charges are inclusive of GST & other taxes if applicable
Mode of Payment: Cash ☐ Card ☐ Wallet ☐

8 Mode (✓) Surface ☐ Air Cargo ☐ Express ☐

Consignment Number: Z44257488

120

11 Booking Branch / Franchisee Code
Courier Signature

12 Risk Surcharge — Owner ☐ Carrier ☐

Download MyDTDC app — Available at select cities & pin codes

http://www.dtdc.in || customersupport@dtdc.com || +91-9606 911 811 — SENDER COPY — Jan. 2024

OA 211/2024 - Sanjay Agarwal vs. State of Uttarakhand & Ors

From: vinay garg (vinaygarg62@yahoo.co.in)

To: mvermadv@gmail.com

Date: Monday, 16 September 2024, 12:24 PM IST

Dear Sir,

Please find attached the scanned copy of the Response Affidavit on behalf of District Development Authority, Tehri Garhwal in compliance of order dated 08.08.2024 passed by Hon'ble NGT.

Regards

Office of **Mr. Vinay Garg**, Advocate
C-253, First Floor, Defence Colony
New Delhi -110 024
Ph.: +91-11-4174 0212, 2433 3388
Mobile : +91 9810152408

Sanjay Agarwal OA NGT - Development Authority Tehri Garhwal.pdf
22.8MB